

PHOTO

प्रारूप -8

(अनुसूची-3-11 (i)(ii) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)

(चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

बंध -पत्र

(सम्यक रूप से स्टांपित बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

- 1- मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
निवासीमध्यप्रदेश के चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में
स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र.....में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।
- 2- मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 एव संशोधन
जून 2019 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है।
- 3- मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि:-
ग्रामीण सेवा बॉण्ड
अ- मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप
से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा।
ब- विहित अवधि जो कि शासकीय/निजी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक वर्ष शासन द्वारा निर्दिष्ट
स्थान पर सेवाएं न देने की स्थिति में मैं शासन को रु. 10 लाख (अनारक्षित वर्ग हेतु) रु. 5 लाख (आरक्षित वर्ग
हेतु) भुगतान करने का वचन देती/देता हूँ।
स- अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने की स्थिति में विहित अवधि
जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा
रु. 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। एवं निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश
लेने पर 5 वर्ष की सेवा देने अथवा
रु. 25 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश होने
पर बॉण्ड का निष्पादन संचालक चिकित्सा सेवा के नाम से होगा।

अथवा

विहित अवधि जो कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना का लाभ शासकीय
स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा रु. 10 लाख भुगतान
करने का वचन देता/देती हूँ। एवं निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की
सेवा देने अथवा रु. 25 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में
प्रवेश होने पर बॉण्ड का निष्पादन संचालक चिकित्सा सेवा के नाम से होगा।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह:-

1.....

2.....